(4)

पत्र संख्या-स्था-6-सामान्य-स्क्रीनिंग-2017-18/ 2022-23/ 2661 / वाणिज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(स्थापना अराजपत्रित अनुभाग)
लखनऊ:: दिनांक:: ०९ सितम्बर, 2022

1- अपर आयुक्त, राज्य कर,
नोएडा।
2- समस्त जोनल अपर आयुक्त,
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
3- अपर निदेशक, राज्य कर अधिकारी प्रशिक्षण संस्थान,
गोमती नगर, लखनऊ।
4- समस्त संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक),
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।
5- समस्त उपायुक्त(प्रशासन)/ सहायक आयुक्त (ए),
राज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषयः- सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग के संबंध में।

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-992/11-3-2022 दिनांक-01.09.2022 के अनुपालन में समूह-ग व घ के पदों पर दिनांक 31.03.2022 तक 50 वर्ष या इससे अधिक आयु के कर्मचारियों की स्क्रीनिंग के सम्बन्ध में सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत समयबद्ध तरीके से कार्यवाही पूर्ण किया जाना अपेक्षित है।

उक्त के संबंध में कार्मिक अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-06/2022/13(1)/2007/का-1-2022 दिनांक 05.07.2022 की प्रति इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि अपने जोन के अधीन समूह ग एवं घ के जिन कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी अधीनस्थ स्तर पर उपलब्ध है उनके सम्बन्ध में उक्त शासनादेश में दिये गए निर्देशों के अनुपालन में दिनांक 31.03.2022 तक 50 वर्ष की सेवा पूर्ण करने वाले या इससे अधिक आयु के ऐसे अकर्मण्य कर्मचारियों के विरुद्ध सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत नियमानुसार स्क्रीनिंग की कार्यवाही कराकर स्क्रीनिंग किये गए कर्मचारियों की सूची तुरन्त मुख्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। इसी क्रम में यह भी कहना है कि जिन अकर्मण्य कर्मचारियों के नियुक्ति प्राधिकारी मुख्यालय पर है उनके विरुद्ध स्क्रीनिंग की कार्यवाही हेतु आवश्यक प्रस्ताव दिनांक-14.09.2022 तक मुख्यालय को अवश्य उपलब्ध करा दिये जाए ताकि उनके विरुद्ध प्राथमिकता के आधार पर कार्यवाही पूर्ण कर शासन को निर्धारित समयावधि में अवगत कराया जा सके।

उक्त कार्यवाही के उपरान्त यदि बाद में किसी ऐसे अकर्मण्य कर्मचारी की सूचना संज्ञान में आती है जिसके मामले में विचार किया जाना छूट गया है तो ऐसे मामलों में सम्बन्धित जोन के संयुक्त आयुक्त (कार्यपालक) राज्य कर उत्तरदायी माने जायेंगे इसलिए उक्त प्रकरण में गम्भीरता पूर्वक परीक्षणोंपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जाए ताकि कोई पात्र अकर्मण्य कर्मचारी विचार होने से छूट न जाए।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार।

(ओम प्रकाश वर्मा)
अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0प0सं0 व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपिः- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- संयुक्त आयुक्त (संग्रह) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ।

2- संयुक्त आयुक्त (आई0टी0) राज्य कर, मुख्यालय, लखनऊ को आवश्यक कार्यवाही एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।

3- पटल प्रभारी स्था0-3(क/ख) / 4(क/ख/ग/घ) / 5(क/ग) को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों से मुख्यालय स्तर से की जाने वाली स्क्रीनिंग की कार्यवाही के मामलों में प्राप्त प्रस्तावों पर नियमानुसार सुसंगत शासनादेशों के अन्तर्गत कार्यवाही करने हेतु प्रत्येक पटल प्रभारी द्वारा दो दिन के अन्दर निस्तारण की कार्यवाही करायी जाएगी।

4- समस्त चरित्र पंजिका पटल प्रभारी मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि 50 वर्ष से अधिक आयु के अकर्मणय कर्मचारियों की चरित्र पंजिका सारांश दिनांक-14.09.2022 तक तैयार कर लें और सम्बन्धित पटल प्रभारियों को प्राप्त करा दें ताकि निर्धारित समय के अन्दर स्क्रीनिंग की अपेक्षित कार्यवाही पूर्ण हो सके।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

अपर आयुक्त, राज्य कर,
प्रभार-अपर आयुक्त (प्रशासन) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सर्वोच्च प्राथमिकता
संख्या- 06/2022/13(1)/2007 /का-1-2022

प्रेषक,

दुर्गा शंकर मिश्र ,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

कार्मिक अनुभाग-1

लखनऊ : दिनांक 05 जुलाई, 2022

विषय : सरकारी सेवाओं में दक्षता सुनिश्चित करने के लिए सरकारी कर्मचारियों की अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग ।

महोदय,

वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-2, भाग 2 से 4 के मूल नियम-56 में यह व्यवस्था है कि नियुक्ति प्राधिकारी, किसी भी समय, किसी सरकारी सेवक को (चाहे वह स्थायी हो अथवा अस्थायी) नोटिस देकर बिना कोई कारण बताए उसके पचास वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् सेवानिवृत्त हो जाने की अपेक्षा कर सकता है। ऐसी नोटिस की अवधि तीन मास होगी ।

2- उपर्युक्त के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-13/48/85-कार्मिक-1, दिनांक 26 अक्टूबर, 1985 में कतिपय मार्गदर्शक निर्देशों सहित अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु गठित की जाने वाली स्क्रीनिंग कमेटियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। इस प्रयोजन हेतु पार्श्वांकित शासनादेश भी निर्गत किये गये है।

शासनादेश संख्या-13/5-89-का-1-1989, दिनांक 06 फरवरी, 1989
शासनादेश संख्या-13/6/98-का-1-98, दिनांक 21 मई, 1998
शासनादेश संख्या-868/13/6-98-का-1-2000, दिनांक 23 सितम्बर, 2000
शासनादेश संख्या-199/का-1-2001, दिनांक 23 सितम्बर, 2000
शासनादेश संख्या-13(1)/2007/का-1-2007, दिनांक 25 जनवरी, 2007
शासनादेश संख्या-3/2017/13(1)/2007/का-1-2017, दिनांक 06 जुलाई, 2017

3- उक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने विभाग के अधिष्ठानीय नियंत्रणाधीन समस्त कार्मिकों के सम्बन्ध में अनिवार्य सेवानिवृत्ति हेतु स्क्रीनिंग की कार्यवाही नियमानुसार दिनांक 31.07.2022 तक अवश्य पूर्ण कर ली जाय। 50 वर्ष की आयु के निर्धारण हेतु कट-आफ-डेट दिनांक 31 मार्च, 2022 होगी, अर्थात् ऐसे सरकारी सेवक जिनकी आयु दिनांक 31 मार्च, 2022 को 50 वर्ष अथवा इससे अधिक होगी, स्क्रीनिंग हेतु विचारण क्षेत्र में आयेंगे ।

4- मुझे यह भी कहने का निदेश हुआ है कि 50 वर्ष की आयु पूरी करने वाले किसी सरकारी सेवक के मामले को स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख कर यदि उसे सेवा में बनाये रखने का एक बार निर्णय ले लिया गया हो तो सामान्यतया उस सरकारी सेवक को उसकी अधिवर्षता आयु प्राप्त करने तक सेवा में बनाये रखा जाये और उसके मामले को आगामी वर्षों में संपन्न होने वाले स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष पुनः रखने की आवश्यकता नहीं है। परन्तु ऐसे मामलों में यदि कोई महत्वपूर्ण तथ्य नियुक्ति प्राधिकारी के संज्ञान में आते हैं तो वे किसी भी समय उक्त मूल नियम-56 के तहत ऐसे सरकारी सेवक को जनहित में अनिवार्य सेवानिवृत्त करने का निर्णय ले सकते हैं या यथास्थिति उसका मामला अनुवर्ती स्क्रीनिंग कमेटी के समक्ष रख सकते हैं।

5- कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराकर अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किये गये कार्मिकों की समेकित सूचना (क्षेत्रीय स्तर से अथवा एक ही विभाग के भिन्न-भिन्न अनुभाग के स्तर से प्राप्त सूचनायें अनुश्रवण हेतु ग्रहण/संकलित नहीं की जायेगी), स्वहस्ताक्षर से निर्धारित प्रारूप पर कार्मिक अनुभाग-1 को दिनांक 15.08.2022 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।

भवदीय,
दुर्गा शंकर मिश्र
मुख्य सचिव ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in